लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

हिंदी त्रैमासिक ई-पत्रिका

लेखापरीक्षा ज्ञानोदय

चतुर्थ अंक

(जनवरी-मार्च, 2020)

कार्यालय महानिदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा, मुंबई

सी-25, ऑडिट भवन, 8वाँ तल, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स

बांद्रा(पूर्व), मुंबई - 400 051

फैक्स-02226573814 ई-मेल pdcamumbai@cag.gov.in

लेखापरीक्षा ज्ञानोदय परिवार

मुख्य संरक्षक

श्रीमती तनुजा मित्तल

महानिदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा

संरक्षक

डॉ. विशाल चवरे - निदेशक

श्री अविनाश जाधव - उपनिदेशक

संपादक-मंडल

श्रीमती मीना देशप्रभु	**वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी**
श्रीमती स्वप्ना फुलपाडिया	**वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी**
श्रीमती विद्या मुरलीधरन	**वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी**
श्रीमती कल्पना असगेकर	**पर्यवेक्षक**
श्री आनंद कुमार सिंह	**कनिष्ठ अनुवादक**

(रचनाओं की मौलिकता का पूर्ण उत्तरादायित्व रचनाकारों का है - संपादक-मंडल)

अनुक्रमणिका

संदेश	श्रीमती तनुजा मित्तल, महानिदेशक
संदेश	डॉ. विशाल चवरे, निदेशक
संदेश	श्री अविनाश जाधव, उपनिदेशक
संदेश	श्री अनुपम जाखड, उपनिदेशक
संपादकीय	
क्यूँ	
सरकारी नौकरी	
योग-सभी के लिए	
अनुवाद की आवश्यकता	
अमीर खुसरो	
भूमंडलीय ऊष्मीकरण	
मनोरंजन क्लब द्वारा महिला दिवस के अवसर पर आयोजित निबंध प्रतियोगिता में पुरस्कृत हिंदी निबंध	
राजभाषा संबंधी जानकारी	
सरकार के कार्मिकों के लिए राजभाषा हिंदी से संबंधित प्रोत्साहन योजनाएं	
कार्यालय में आयोजित विभिन्न कार्यक्रम	
आपके पत्र	

संदेश

यह अत्यंत आनंद का विषय है कि कार्यालय द्वारा तिमाही हिंदी ई-पत्रिका "लेखापरीक्षा ज्ञानोदय" के चतुर्थ अंक का प्रकाशन किया जा रहा है। पत्रिका द्वारा राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के क्रम में योगदान करने हेतु किया गया प्रयास प्रशंसनीय है।

राजभाषा के प्रचार-प्रसार हेतु राजभाषा संबंधी नीतियों के अनुपालन में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के साथ साथ राजभाषा के उत्तरोत्तर विकास हेतु सदैव प्रयत्नशील होना चाहिए। राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए कार्यालयों में सहज एवं प्रचलित शब्दों का प्रयोग करते हुए अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राजभाषा के प्रयोग हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। वर्तमान समय में राजभाषा के प्रयोग को आसान बनाने हेतु उपलब्ध ई-टूल्स का आवश्यकता के अनुसार प्रयोग सुनिश्चित करना चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे प्रयासों से अनुकुल परिणाम प्राप्त होंगे।

अंत में मै उन सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को धन्यवाद देती हूँ जिन्होनें अपनी रचनाओं के माध्यम से पत्रिका के चतुर्थ अंक को सफल बनाने में सहयोग किया है। प्राप्त रचनाओं के सुंदर प्रस्तुतीकरण हेतु संपादक मंडल को हार्दिक शुभकामनाएं।

मुझे आशा है कि हम सभी एक साथ मिलकर पत्रिका के उत्तरोत्तर विकास हेतु सदैव प्रयत्नशील रहेंगे।

(तनुजा मित्तल)

महानिदेशक

कार्यालय महानिदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा, मुंबई

संदेश

मुझे यह जानकर अत्यंत हर्ष हो रहा है कि राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार हेतु कार्यालय द्वारा ई-पत्रिका "लेखापरीक्षा ज्ञानोदय" के चतुर्थ अंक का प्रकाशन किया जा रहा है। रचनाकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से अपने अनुभव एवं ज्ञान को प्रस्तुत किया है।

मैं राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार हेतु कार्यालय द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना करता हूँ तथा यह आशा करता हूँ कि पत्रिका हिंदी के विकाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए अपने उद्देश्य को पूर्ण करेगी।

पत्रिका के सफल प्रकाशन हेतु संपादक मंडल को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।

(विशाल चवरे)

निदेशक/तेल

कार्यालय महानिदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा, मुंबई

संदेश

मैं कार्यालय द्वारा राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के क्रम में त्रैमासिक हिंदी ई-पत्रिका "लेखापरीक्षा ज्ञानोदय" के चतुर्थ अंक के प्रकाशन पर अपार हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ। राजभाषा हिंदी की प्रगति हेतु कार्मिकों को हिंदी के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करने में पत्रिकाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। पत्रिका का मुख्य उद्देश्य राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन हेतु जारी निर्देशों के प्रति जागरुकता उत्पन्न करते हुए कार्मिकों को हिंदी के प्रयोग हेतु प्रेरित करना है।

कार्यालयी कार्यों में राजभाषा हिंदी का प्रयोग करना चाहिए तथा इसके प्रयोग में वृद्धि करने हेतु अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रोत्साहित भी करना चाहिए। राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने हेतु पत्रिका प्रकाशन सटिक माध्यम है। राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में योगदान हेतु हमारा कार्यालय हर संभव प्रयास करता है तथा मै यह आशा करता हूँ कि हम एक साथ मिलकर अपने दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वाह करने में सफल होंगे।

मुख्य संरक्षक महानिदेशक महोदया के प्रति हार्दिक आभार जिन्होंने समय समय अपने विचारों से हमें प्रोस्ताहित किया। पत्रिका के सफल प्रकाशन में सहयोग करने वाले समस्त रचनाकारों को धन्यवाद तथा संपादकीय मंडल को हार्दिक शुभकामनाएं।

मै यह आशा करता हूँ कि पत्रिका का चतुर्थ अंक आप सभी को पसंद आएगा तथा इसे पढ़ने के पश्चात अपनी प्रतिक्रियाओं से हमारा उत्साह बढ़ाएंगे।

(अविनाश जाधव)

उपनिदेशक

कार्यालय महानिदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा, मुंबई

संदेश

'लेखापरीक्षा ज्ञानोदय पत्रिका' का अध्ययन करने पर राज्यों की भौगोलिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक, ऐतिहासिक व स्थान विशेष व वहाँ के रीति-रिवाजों व परंपराओं में बदलाव जैसे बिंदूओं के विषय में वृहद जानकारी प्राप्त हुई। इस पत्रिका से राजभाषा संबंधी अनेक जानकारी भी प्राप्त हुई है। 'लेखापरीक्षा ज्ञानोदय' बहुत ही उपयोगी है इससे हमें राजभाषा के संबंध में व हमारे संपूर्ण देश की विविधता के बारे में विशिष्ट जानकारी मिलती है।

'लेखापरीक्षा ज्ञानोदय पत्रिका' के प्रकाशन हेतु संपादकीय मंडल को हार्दिक बधाई व शुभकामनायें।

(अनुपम जाखड)

उपनिदेशक

उप कार्यालय निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा देहरादून

कार्यालय महानिदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा, मुंबई

संपादकीय

त्रैमासिक हिंदी ई-पत्रिका “लेखापरीक्षा ज्ञानोदय” का चतुर्थ अंक आप सभी को सादर समर्पित है। राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में योगदान हेतु पत्रिका का प्रकाशन एक सार्थक प्रयास है। कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से प्राप्त रचनाकारों को पत्रिका में शामिल कर आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। पत्रिका अधिकारियों एवं कर्मचारियों के रचना कौशल के साथ साथ हिंदी भाषा के प्रति लगाव को भी दर्शाता है।

विचारों की अभिव्यक्ति के लिए हिंदी भाषा एक सशक्त माध्यम है। हिंदी भाषा में अन्य भाषाओं के शब्दों को आत्मसात करने की शक्ति है जिसके कारण हिंदी भाषा का प्रयोग आसान हो जाता है। राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन के लिए हमें निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। कार्यालयी काम-काज के साथ साथ राजभाषा हिंदी के प्रति अधिकारियों एवं कर्मचारियों में रुचि जागृत करने के लिए समय समय पर राजभाषा हिंदी संबंधी कार्यक्रमों जैसे हिंदी पखवाड़ा, हिंदी कार्यशाला, बैठक आदि का आयोजन किया जाना एक सकारात्मक पहल है। हिंदी भाषा को विकसित करने के लिए हम सभी का उचित योगदान अपेक्षित है। कार्यालयों द्वारा प्रकाशित पत्रिकाएं राजभाषा हिंदी के विकास में योगदान देते हुए रुचि जागृत करती हैं।

हम उच्च अधिकारियों के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करते हैं जिनके सहयोग एवं प्रोत्साहन के फलस्वरुप पत्रिका का सफल प्रकाशन किया जा सका है।

पत्रिका के सफल प्रकाशन में सहयोग देने वाले सभी रचनाकारों को सादर धन्यवाद जिनके रचनाओं को शामिल करके पत्रिका अपने पूर्ण रुप को प्राप्त करने में सफल हुई है। हमें पूर्ण विश्वास है कि पत्रिका के आगामी अंको के लिए भी आपका सहयोग प्राप्त होता रहेगा ।

पत्रिका के संबंध में पाठकों के अमूल्य विचार हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं तथा हमें प्रोत्साहित करते हैं। अतः आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि पत्रिका को पढ़ने के पश्चात अपने विचारों से हमें अवगत कराएं तथा हमारा मार्गदर्शन करें।

आनंद कुमार सिंह

कनिष्ठ अनुवादक

क्यूँ ……

क्यूँ नहीं मिलता रोटी, कपड़ा, मकान सभी को हमारे देश में

हैं हमारे देश में आबादी इतनी

क्यूँ हैं होती लूट मार हमारे देश में इतनी

हैं गरीबी और अज्ञान भरी हमारे देश में इतनी

क्यूँ नहीं सो पाते चैन की नींद सभी हमारे देश में

है रहती सभी को चिंता कल की हमारे देश में

क्यूँ है देश के नेता हमारे करते झूठे वादे इतने

नहीं है जागरूक नागरिक सभी हमारे देश में

क्यूँ है होती अनादर स्त्रियों की हमारे देश में आज भी

है खोखले विचार धारा सभी की आज भी हमारे देश में

क्यूँ है रिश्वत खोरी हमारे देश में इतनी

है शॉर्ट कट पसंद सभी को हमारे देश में

क्यूँ है क्रिकेट लोक प्रिय खेल हमारे देश में इतनी

है ग्लैमर और पैसे की चमक करती चकाचौंध सभी को हमारे देश में

क्यूँ है गंदगी फैली चारो और हमारे देश में इतनी

है सफाई का काम सरकार का मानना सभी का हमारे देश में

क्यूँ नहीं रोक पाते बढ़ती आबादी को हमारे देश में

है होते बच्चे भगवान की देन हमारे देश में

क्यूँ नहीं मिलता हल इस क्यूँ का हमारे देश में

है नहीं होती सही मायने में शिक्षण सभी की हमारे देश में।

रचनाकार: सुश्री व्ही. सरला

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

सरकारी नौकरी

(Government Job)

बड़ी अच्छी और हसीन होगी सरकारी नौकरी
ऐसा सोचकर आज के सारे युवा तुझ पर मरते हैं।

सुख-चैन खोकर चटाई पर सोकर
सारी रात जागकर किताबों के पन्ने पलटते
दिन में खिचड़ी और रात को मैगी खाकर
आधे पेट ही सोकर तेरा नाम जपते हैं।
आज के सारे युवा तुझ पर मरते हैं।

राशन और सामान की गठरी सिर पर उठाकर
अपनी मायूसी और मजबूरियां खुद ही छिपाकर
खचाखच भरी रेल में बिना टिकट के जोखिम लेकर सफर करते हैं।
आज के सारे युवा तुझ पर मरते हैं।

अंजाने शहरों और नगरों में छोटा सस्ता मकान लेकर
रसोई, शयनकक्ष सब उसी में सहेज कर चाहत में तेरी
अपने दोस्तों और मां-बाप से दूर रहते हैं ।
आज के सारे युवा तुझ पर मरते हैं।

रोजगार समाचार पत्रों और इंटरनेट में तुझको तलाशते
तेरे लिए पत्र-पत्रिकाएं और किताबें पढ़ते-पढ़ते
बत्तीस और पैतीस साल तक के जवान कुंवारे फिरते हैं।
बड़ी अच्छी और हसीन होगी सरकारी नौकरी
ऐसा सोचकर आज के सारे युवा तुझ पर मरते हैं।

शरद धनगर
लेखापरीक्षक

योग-सभी के लिए

संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 21 जून को (2015 से) अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की उद्घोषणा के उपरांत शायद ही कोई हो जो योग शब्द से परिचित ना हो| हजारों वर्ष पुरानी इस परम्परा के सुव्यवस्थित प्रस्तुतिकरण (योगसूत्र) का श्रेय महर्षि पतंजलि को जाता है| हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर योग मुद्रा का अंकन भी इसकी पौराणिकता को प्रमाणित करता है| वेदो-वेदांतो में योग वर्णन तो भगवत गीता व महाभारत के शांति पर्व में योग का उल्लेख मिलता है| तत्पश्चात गौतम बुद्ध हों या महावीर स्वामी, सिद्ध पंथ, शैव पंथ या अन्य पंथी, सभी ने अपने-अपने तरीको से योग का प्रचार किया| सूफी धर्म के अनुयायी, वहदत उल वजूद के चिस्ती संत तो कई योगिक क्रिया का अनुसरण व प्रचार करते थे| अतः योग किसी धर्म विशेष का नहीं अपितु सभी धर्मो का महत्वपूर्ण भाग रहा है|

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में योग का नाम लेने के साथ ही दो प्रसिद्ध व्यक्तित्व की चर्चा आवश्यक हो जाती है| प्रथम तो अली सैयदपुर, हरियाणा में जन्मे दिव्य योग ट्रस्ट के संस्थापक श्री रामकृष्ण यादव जिन्हे सब बाबा रामदेव के नाम से जानते है एवं दूसरे वडनगर, गुजरात में जन्मे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी| योग गुरु के रूप में विश्व पटल पर भारत की पुनः स्थापना में दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका रहे हैं|

योग का अर्थ है जोड़ना, मन से शरीर को, आत्मा से परमात्मा को| मनुष्य और प्रकृति में सामंजस्य स्थापित करता है, चित से आत्मा को मिलाने वाला, विचार, संयम और पूर्ति प्रदान करने वाला है योग, तभी कहा गया है;

"योगः चित-वृति निरोधः"

योग के अष्टांग यथा यम, नियम, आसन्न, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधी के माध्यम से शारीरिक, मानसिक, वैचारिक इत्यादि सभी का शुद्धिकरण होता है और उत्कृष्टता प्राप्त होती है| चूँकि योग मानव कल्याण की क्रिया/संस्कृति है अतः इसका अनुसरण एवं प्रसार एक अवदान ही कहा जाये तो अतिश्योक्ति नहीं होगी|

किंतु आज कुछ धर्मो में, राजनीती तुष्टिकरण एवं धार्मिक कट्टरता से प्रेरित, योग को धर्म विशेष बताते है| ये कुछ धार्मिक ठेकेदार, मानव कल्याण के विरोधी, प्रतिसमाजोत्थानिक के अलावा और कुछ नहीं|

मानव कल्याण हेतु किये गए किसी भी प्रयास की हमे खुलकर सराहना करनी चाहिए, फिर वो माननीय प्रधानमंत्री जी हो या डॉ. अहमद शलाबी जो मानव कल्याण हेतु सभी को योग करने हेतु आग्रह करते है| केवल विरोध करने के लिए विरोध तो उचित नहीं| सूर्य ऊर्जा का स्रोत है| सूर्य नमस्कार एक व्यायाम है| सूर्य किसी धर्म विशेष का नहीं हो सकता, उसी प्रकार सूर्य नमस्कार व्यायाम किसी धर्म विशेष का नहीं हो सकता| व्यायाम तो व्यायाम है, शरीर, मन की स्वस्थता किसी एक धर्म अधिकार का नहीं है| अतः जन हितार्थ सभी को योग हेतु प्रेरित करना चाहिए|

निष्कर्षतः शरीर, मष्तिष्क का स्वस्थ्य रहना ही स्वस्थ धर्म की पहचान है| योग मानव कल्याण, स्वस्थ मन, शरीर, आत्मा, का एक साधन है| जिसका साध्य केवल और केवल जन कल्याण है|

आकाश सिंह हाडा
सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

"हिंदी चिरकाल से ऐसी भाषा रही है जिसने मात्र विदेशी होने के कारण किसी शब्द का बहिष्कार नहीं किया।" - राजेंद्र प्रसाद।

अनुवाद की आवश्यकता

वर्तमान समय में प्रत्येक विशेष वर्ग के लिए एक मुख्य भाषा होती है किंतु वे अन्य भाषाओं में प्रचलित ज्ञान को अर्जित करना चाहते है। इससे बहुभाषिकता की स्थिति उत्पन्न होती है और उसके संरक्षण की प्रक्रिया में अनुवाद कार्य का आश्रय लेना अनिवार्य हो जाता है। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय सीमा से उपर उठकर बड़े स्तर पर विचारों के बढ़ते हुए आदान-प्रदान के कारण अनुवाद कार्य की अनिवार्यता और महत्ता की नई चेतना प्रबल रूप से विकसित होती हुई दिखती है। आज विश्वभर में अनुवाद की आवश्यकता जीवन के हर क्षेत्र में किसी-न-किसी रूप में अवश्य महसूस की जा रही है और इस तरह अनुवाद आज के जीवन की अनिवार्य आवश्यकता बन गया है। आज के इस समय में आज जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर अनुवाद का योगदान न हो।

विश्व की सभ्यताओं और संस्कृतियों के विकास में अनुवाद की विशेष भूमिका रही है। विभिन्न धर्मो के ज्ञान को विशाल जन मानस तक पहुंचाना अनुवाद के कारण ही संभव हो पाया है। विश्व भर में प्रचलित ग्रंथों का अनुवाद आवश्यकता के अनुसार किया जाता रहा है। पंचतंत्र के लघु संग्रहों का अनुवाद कई भाषाओं में हुआ है। अनुवाद एक वर्ग से दूसरे वर्ग के लिए एक सेतु का काम करता है। विभिन्न संस्कृतियों को समझने में अनुवाद की महत्वपूर्ण भूमिका है। विश्व की सांस्कृतिक एकता में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। भारत की सामासिक संस्कृति के निर्माण में अनुवाद एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा विभिन्न संस्कृतियों में सामंजस्य स्थापित हुआ है। अनुवाद के माध्यम से विभिन्न सांस्कृतिक विरासतों की पहुंच हर वर्ग तक हो पाई है।

अनुवाद के माध्यम से विभिन्न भाषाओं के साहित्य का अध्ययन किया जा सकता है जिससे उनके अनुभूतियों और साहित्य शैलियों का परिचय मिलता है।अनुवाद से विभिन्न भाषाओं के साहित्यों के तुलनात्मक अध्ययन में सहायता मिलती है। भारतीय साहित्य के अध्ययन से यह पता चलता है कि विभिन्न साहित्यक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक आन्दोलनों में हिंदी एवं हिंदीतर भाषा के साहित्यकारों का स्वर प्राय: एक जैसा रहा है। अनुवाद ने राष्ट्रीय साहित्य को अंतराष्ट्रीय साहित्य से जोड़ने का काम किया है।

अनुवाद के फलस्वरुप प्राप्त होने वाले ज्ञान से भाषा की क्षेत्रीय सीमाओं का विस्तार हुआ है। आज विज्ञान के तेजी से बदलते हुए परिवेश में सूचना व प्रौद्योगिकी, ज्ञान-विज्ञान आदि के क्षेत्र में हो रहे नए नए अविष्कारों और अनुसंधान से जुड़े रहने के लिए अनुवाद सबसे बड़ा साधन है। वर्तमान समय में अनुवाद ज्ञान को विकसित करने का महत्वपूर्ण साधन है। संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिए जाने के पश्चात् केन्द्र सरकार के कार्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों, संस्थानों और प्रतिष्ठानों में

राजभाषा प्रभाग की स्थापना हुई जहाँ अनुवाद कार्य में हिंदी अनुवादक एवं हिंदी अधिकारी कार्य करते हैं। आज के इस समय में रोजगार के क्षेत्र में भी अनुवाद का विकसित स्वरुप है और यह निरंतर बढ़ रहा है।

भारत एक विशाल देश है तथा यहाँ क्षेत्रीय स्तर पर भिन्न-भिन्न भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। भारत के भिन्न-क्षेत्रों में रहने वाले लोंगों की भाषाएँ एंव बोलियाँ एक दूसरे से भिन्न हैं। अनुवाद ने अलग-अलग भाषाओं के बीच संबंध स्थापित करने में अपना कार्य बहुत ही सुंदर तरीके से किया है। यह अनुवाद के द्वारा ही संभव हो सका है कि एक ही विषय पर भिन्न-भिन्न भाषों की रचनाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है ।

समाचारपत्र, रेडिया व टीवी चैनल तथा अन्य माध्यमों के लिए अनुवाद की बहुत बड़ी आवश्यकता है। संचार के विभिन्न क्षेत्रों में अनुवाद का सहारा लेकर उसके क्षेत्र को बढ़ाया जा रहा है। अनुवाद की आवश्यकता को देखते हुए सरकार द्वारा नेशनल ट्रांसलेशन मिशन का गठन किया है। मीडिया के क्षेत्र में वृद्धि करने हेतु संवाददाताओं से लेकर संपादक तक सभी को अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है।

वैचारिक स्तर पर देशों के बीच की दूरियों को कम करने के लिए अनुवाद एक बड़ा साधन है। अनुवाद के परिणामस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित विचारों का पारस्परिक आदान-प्रदान बढ़ा है। आज के इस वैज्ञानिक विकास के समय में अनुवाद बहुत महत्त्वपूर्ण हो गया है। विभिन्न विषयों की जानकारी प्रत्येक वर्ग को अनुवाद के माध्यम से मिलती है। संचार माध्यमों को गति प्रदान करने में अनुवाद अपनी भूमिका बखूबी निभा रहा है तथा छोटे स्तर से बड़े स्तर तक एवं छोटे क्षेत्रों से बड़े क्षेत्रों तक सूचनाएँ को पहुंचाने में अनुवाद का योगदान बहुत अधिक है।

अतः यह कहा जा सकता है कि अनुवाद के माध्यम से आज संपूर्ण विश्व एक साथ है और विभिन्न क्षेत्रों में विचारों का आदान-प्रदान किया जा रहा है।

आनंद कुमार सिंह
कनिष्ठ अनुवादक

"जिस देश को अपनी भाषा और अपने साहित्य के गौरव का अनुभव नहीं है, वह उन्नत नहीं हो सकता।" -

देशरत्न डॉ. राजेन्द्रप्रसाद।

अमीर ख़ुसरो

आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास अमीर खुसरो के योगदान को याद किये बिना पूरा नहीं होता। खडी बोली के आदि कवि के रूप में अमीर खुसरो को माना जाता है। अमीर खुसरो की कवितायें हमारे राष्ट्रीय कविताओं एवं साहित्य का प्रथम स्वरूप है। उर्दू ,हिन्दी ,हिंदुस्तानी अथवा खड़ी बोली का प्रथम रूप अमीर खुसरो कि कविताओं में ही दिखाई देता है।

जीवन

अमीर खुसरो का जन्म सन् 1253 ईस्वी में एटा उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक कस्बे में हुआ था। इनका वास्तविक नाम था - अबुल हसन यमीनुद्दीन मुहम्मद। अमीर खुसरो को बचपन से ही कविता करने का शौक़ था। किशोरावस्था में उन्होंने कविता लिखना प्रारम्भ किया और 20 वर्ष के होते होते वे कवि के रूप में प्रसिद्ध हो गए। खुसरो में व्यवहारिक बुद्धि की कोई कमी नहीं थी। सामाजिक जीवन की खुसरो ने कभी अवहेलना नहीं की। खुसरो ने अपना सारा जीवन राज्याश्रय में ही बिताया। खुसरो की माँ बलबन के युद्धमंत्री इमादुतुल मुल्क की पुत्री तथा एक भारतीय मुसलमान महिला थी। सात वर्ष की अवस्था में खुसरो के पिता का देहान्त हो गया। राजदरबार में रहते हुए भी खुसरो हमेशा कवि, कलाकार, संगीतज्ञ और सैनिक ही बने रहे। साहित्य के अतिरिक्त संगीत के क्षेत्र में भी खुसरो का महत्वपूर्ण योगदान है । उन्होंने भारतीय और ईरानी रागों का सुन्दर मिश्रण किया और एक नवीन राग शैली इमान, जिल्फ़, साजगरी आदि को जन्म दिया । भारतीय गायन में क़व्वाली और सितार को इन्हीं की देन माना जाता है। इन्होंने गीत के तर्ज पर फ़ारसी में और अरबी ग़जल के शब्दों को मिलाकर कई पहेलियाँ और दोहे भी लिखे हैं।

अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का शासन देखा था । अमीर खुसरो प्रथम मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया है । वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिन्दवी और फारसी में एक साथ लिखा । उन्हे खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। वे अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। सबसे पहले उन्हीं ने अपनी भाषा के लिए हिन्दवी का उल्लेख किया था। वे फारसी के कवि भी थे। उनको दिल्ली सल्तनत का आश्रय मिला हुआ था। उनके ग्रंथो की सूची लम्बी है। अमीर खुसरो को हिन्द का तोता कहा जाता है।

दोहा

खुसरो दरिया प्रेम का,सो उलटी वा की धार

जो उबरो सो डूब गया जो डूबा हुवा पार

खुसरो बाजी प्रेम की मैं खेलूँ पी के संग,

जीत गयी तो पिया मोरे हारी पी के संग।

अमीर खुसरो कि पहेलियाँ

1. तरवर से इक तिरिया उतरी उसने बहुत रिझाया

बाप का उससे नाम जो पूछा आधा नाम बताया

आधा नाम पिता पर प्यारा बूझ पहेली मोरी

अमीर ख़ुसरो यूँ कहेम अपना नाम नबोली

उत्तर–निम्बोली

2. फ़ारसी बोली आईना,

तुर्की सोच न पाईना

हिन्दी बोलते आरसी,

आए मुँह देखे जो उसे बताए

उत्तर–दर्पण

3.बीसों का सर काट लिया

ना मारा ना ख़ून किया

उत्तर–नाखून

4.एक गुनी ने ये गुन कीना, हरियल पिंजरे में दे दीना।

देखो जादूगर का कमाल, डारे हरा निकाले लाल।।

उत्तर–पान

अमीर खुसरो कि मुकरियाँ

बरसा-बरस वह देस में आवे,

मुँह से मुँह लाग रस प्यावे।

वा खातिर मैं खरचे दाम,

ऐ सखि साजन न सखि! आम।।

घर आवे मुख घेरे-फेरे,

दें दुहाई मन को हरें,

कभू करत है मीठे बैन,

कभी करत है रुखे नैंन।

ऐसा जग में कोऊ होता,

ऐ सखि साजन न सखि! तोता।।

अमीर खुसरो को उनकी चुलबुली कविताओं, रचनाओं के कारण ही तत्कालीन शासक द्वारा अमीर की पदवी प्राप्त हुवी थी। उनके शब्दों में "मैं हिन्दुस्तान की तूती हूँ। अगर तुम वास्तव में मुझसे जानना चाहते हो तो हिन्दवी में पूछो। मैं तुम्हें अनुपम बातें बता सकूँगा "- अमीर ख़ुसरो

इमरान खाटीक

लेखापरीक्षक

भूमंडलीय ऊष्मीकरण(ग्लोबल वार्मिंग)

धरती के वातावरण में तापमान के लगातार हो रही विश्वव्यापी बढ़ोत्तरी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। दूसरे शब्दों में - जब वायुमंडल में कार्बन-डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो वायुमंडल के तापमान में बढ़ोत्तरी हो जाती है। तापमान में हुए इस बदलाव को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है।

आज के युग में मनुष्य दिनों-दिन कई तरह की नई-नई तकनीकें विकसित करता आ रहा है। विकास के लिए मनुष्य कई तरह से प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है जिसकी वजह से प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में बहुत मुश्किल हो रही है। इन सब के कारण धरती को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

जिनमें से ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत ही भयंकर समस्या है। ग्लोबल वार्मिंग हमारे देश के लिए ही नहीं अपितु पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ी समस्या है। सूरज की रोशनी को लगातार ग्रहण करते हुए हमारी पृथ्वी दिनों-दिन गर्म होती जा रही है, जिससे वातावरण में कॉर्बनडाई ऑक्साइड का स्तर बढ़ रहा है। इस समस्या से ना केवल मनुष्य, बल्कि धरती पर रहने वाले प्रत्येक प्राणी को नुकसान पहुँच रहा है और इस समस्या से निपटने के लिए प्रत्येक देश कुछ ना कुछ उपाय लगातार कर रहें है परंतु यह ग्लोबल वार्मिंग घटने की बजाय निरंतर बढ़ ही रहा है। इस समस्या से निपटने के लिये लोगों को इसका अर्थ, कारण और प्रभाव पता होना चाहिये जिससे जल्द से जल्द इसके समाधान तक पहुँचा जा सके। इससे मुकाबला करने के लिये हम सभी को एक साथ आगे आना चाहिए और धरती पर जीवन को बचाने के लिये इसका समाधान करना चाहिए।

भूमंडलीय ऊष्मीकरण या ग्लोबल वॉर्मिंग के कारण

ग्रीन हाउस गैस

ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने वाले जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैसें हैं। ग्रीन हाउस गैसें वे गैसें होती हैं, जो सूर्य से मिल रही गर्मी को अपने अंदर सोख लेती हैं। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसे हम जीवित प्राणी अपनी सांस के साथ उत्सर्जित करते हैं। पर्यावरण वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। ग्रीन हाउस गैसें वातावरण में एक साथ मिल जाती हैं और वातावरण के रेडियोएक्टिव संतुलन को बिगाड़ देती हैं। उनके पास गर्म विकीकरण को सोखने की क्षमता है जिससे धरती की सतह गर्म होने लगती है।

प्रदूषण

वायुमंडल के तापमान में होने वाली लगातार वृद्धि के कारणों में प्रदूषण भी एक कारण है। प्रदूषण कई तरह का होता है - वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदि। प्रदूषण के कारण वायुमंडल में कई तरह की गैसें बनती जा रही है। ये गैसें ही तापमान वृद्धि का मुख्य कारण है।

जनसंख्या वृद्धि

जनसंख्या वृद्धि भी वायुमंडल के तापमान को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग में 90 प्रतिशत योगदान मानवजनित कार्बन उत्सर्जन का है।

औद्योगीकरण

शहरीकरण को बढ़ावा देते हुए शहरी इलाकों में कारखाने और कंपनियाँ लगातार बढ़ती जा रहीं हैं। जिनसे विषैले पदार्थ, प्लास्टिक, रसायन, धुआँ आदि निकलता है। ये सभी पदार्थ वातावरण को गर्म करने का कार्य बखूबी निभाते हैं।

जंगलों की कटाई

मनुष्य अपनी सुविधाओं के लिए प्रकृति से छेड़छाड़ करता रहता है। मनुष्य ने धरती के वातावरण को संतुलित बनाए रखने वाले पेड़-पौधों को काट कर वातावरण को अत्याधिक गर्म कर दिया है, जिसके कारण समुद्र का जल-स्तर बढ़ रहा है। यह हमारी पृथ्वी के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध होगा।

भूमंडलीय ऊष्मीकरण या ग्लोबल वॉर्मिंग के रोकथाम के उपाय

सरकारी एजेंसियों, व्यापारिक नेतृत्व, निजी क्षेत्रों और एनजीओ आदि के द्वारा, जागरुकता अभियान चलाए जाने चाहिए। जागरूकता के अभियान का काम किसी भी एक राष्ट्र के करने से नहीं होगा इस काम को हर राष्ट्र के द्वारा करना जरूरी है। ग्लोबल वार्मिंग से बहुत तरह की हानियाँ हुई हैं जिन्हें ठीक तो नहीं किया जा सकता लेकिन ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ने से रोका जा सकता है जिससे बर्फीले इलाकों को पिघलने से बचाया जा सके।वाहनों और उद्योगों में हानिकारक गैसों के लिए समाधान किये जाने चाहिए जिससे ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सके। जो चीज़ें ओजोन परत को हानि पहुँचाती हैं उन सभी चीजों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। हमें कुछ उपायों के द्वारा इसे बढने से रोकना होगा। जिन वाहनों से प्रदूषण होता है उन पर रोक लगानी चाहिए। जितना हो सके प्रदूषण करने वाले वाहनों का कम प्रयोग करना चाहिए जिससे प्रदूषण को कम किया जा सके। घर और ऑफिस में कम-से-कम एयर-कंडीशनर का प्रयोग करना चाहिए। एयर-कंडीशनर से निकलने वाली सीएफसी गैसें वायुमंडल को गर्म करती हैं।

पेड़ों की कटाई को रोककर अधिक-से-अधिक पेड़ लगाने चाहिए। सामान्य बल्बों की जगह पर कम ऊर्जा की खपत वाले बल्बों का प्रयोग करना चाहिए। जिन वस्तुओं को नष्ट नहीं किया जा सकता हैं उन्हें रिसाइक्लिंग की सहायता से पुनः प्रयोग में लाना चाहिए। लाईटों का कम प्रयोग करना चाहिए। जब आवश्यकता हो तभी लाईटों का प्रयोग करना चाहिए। बिजली के साधनों का कम-से-कम प्रयोग करना चाहिए।

पैकिंग करने वाले प्लास्टिक के साधनों का कम प्रयोग करना चाहिए। जितना हो सके स्वच्छ ईंधन का प्रयोग करना चाहिए। जल संरक्षण और वायु संरक्षण के लिए प्रयास करने चाहिए। हमें वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों का कम से कम उत्सर्जन करना चाहिए और उन जलवायु परिवर्तनों को अपनाना चाहिये जो वर्षों से होते आ रहे है। बिजली की ऊर्जा के बजाए शुद्ध और साफ ऊर्जा के इस्तेमाल की

कोशिश करनी चाहिए अथवा सौर, वायु और जियोथर्मल से उत्पन्न ऊर्जा का इस्तेमाल करना चाहिये।

ग्लोबल वार्मिंग मानव के द्वारा ही विकसित प्रक्रिया है क्योंकि कोई भी परिवर्तन बिना किसी चीज को छुए अपने आप नहीं होता है। यदि ग्लोबल वार्मिंग को नहीं रोका गया तो इसका भयंकर रूप हमें आगे देखने को मिलेगा, जिसमें शायद पृथ्वी का अस्तित्व ही ना रहे इसलिए हम मानवों को सामंजस्य, बुद्धि और एकता के साथ इसके बारे में सोचना चाहिए क्योंकि जिस ऑक्सीजन से हमारी साँसें चलती है, इन खतरनाक गैसों की वजह से कहीं वही साँसें थमने ना लगे। इसलिए तकनीकी और आर्थिक आराम से ज्यादा अच्छा प्राकृतिक सुधार जरूरी है। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए जितने हो सकें उतने प्रयत्न ज़रूर करने चाहिए।

वृक्षारोपण के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे कार्बन-डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो सके और प्रदूषण को कम किया जा सके।

हरीश कुमार

आंकडा प्रविष्टि प्रचालक

"हिंदी भारतीय संस्कृति की आत्मा है।" - कमलापति त्रिपाठी।

मनोरंजन क्लब द्वारा महिला दिवस के अवसर पर आयोजित निबंध प्रतियोगिता में पुरस्कृत हिंदी निबंध

महिला सशक्तिकरण

अगर इतिहास के पन्नो को पलट कर देखें तो हमें यह पता चलता हैं कि वैदिक काल व उससे पूर्व नारिओं को विशेष दर्जा दिया जाता था उन्हें केवल घर के अंदर या चाहर दीवारी के अंदर ही सीमित नहीं रखा जाता था ना ही उन्हें संतानप्राप्ति का या भोग विलाश कि वास्तु समझा जाता था गार्गी, अपाला, लोपा, मुद्रा तथा विद्योत्तमा जैसी भारतीय विदुषी महिलाओ ने सभी महिलाओ का प्रतिनिधित्व कर दिया तथा समाज में महिलाओ का और महत्व बढ़ा दिया ।

जिस समाज में नारी का स्थान सम्मानजनक होता हैं, वह उतना ही प्रगतिशील और विकसित होता हैं । परिवार और समाज के निर्माण में नारी का स्थान महत्वपूर्ण होता हैं । जब समाज सशक्त और विकसित होता हैं तो राष्ट्र भी मजबूत होता हैं । इस प्रकार राष्ट्र निर्माण में भी नारी केंद्रीय भूमिका निभाती हैं । माता के रूप में नारी प्रथम गुरु होती हैं । जार्ज हर्बर्ट के अनुसार " एक अच्छी माता सौ शिक्षकों के बराबर होती हैं, इसलिए उसका हर हालत में सम्मान करना चाहिए ।

विश्व के सभी देशे में चिंतनीय मुद्दा हैं । सयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 8 मार्च 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत की गयी । संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अनेक महिला सम्मेलनों का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया हैं । महिला महिला सशक्तिकरण की दिशा में वियना में मानवाधिकारों के विश्व सम्मलेन 1993 में महिला अधिकारों को मानवाधिकार के रूप में मान्यता मिली ।

महिला सशक्तिकरण का अर्थ, महिलाओं को घर , परिवार, समाज व राष्ट्र में अपनी नैसर्गिक क्षमता, स्वतंत्रता व मुक्ति का बोध कराकर इतना सशक्त और सक्षम बनाना कि वे आपने जीवन में व्यक्तिगत और सामाजिक निर्णय लेने कि हक़दार हो । पुरुष के बराबर महिलाओं को राजनैतिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठिभूमि में स्वंयतता व निर्णय लेने का अधिकार प्रदान करना हैं सच्चे अर्थ में लोकतंत्र तभी सार्थक हो सकता है जब महिला और पुरुष राष्ट्रीय विकास के सभी क्षेत्रो में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो । भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने कहा है - "महिलाओं कि स्थिति ही देश के विकास को सूचित करता हैं ।" लेकिन भारत में आज भी महिलाएं सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक उत्थान की मुख्यधारा से जुड़ने में रुकवाटे महसूस करती हैं ।

विकास लक्ष्य 2015 लिंग भेदभाव की समानता के साथ महिला सशक्तिकरण को समर्पित है सतत विकास के लक्ष्य भी महिला विकास से जुड़े हुए हैं महिलाओं के लिए गुणवत्तायुक्त, तकनीकी,

व्यवसायिक व रोजगारमुखी शिक्षा का विकास करके उन्हें सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना व आत्मनिर्भर बनाना है साथ ही महिला विकास से जुड़े संस्थानों जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, यौन शोषण , घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर महिलाओं का शोषण जैसी समस्याओं को समाप्त करना है ।

ऐसा नहीं है कि भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रयास नहीं हुए हमारे देश में नारी शक्ति को बल देकर महिलाओं का उन्नयन का प्रयास जारी है किंतु लैंगिक भेदभाव की प्रवृत्ति सदैव आड़े आती रही है । भारत में सैन्य क्षेत्र में बर्ष 1992 से जहां महिलाओं को भर्ती देने की शुरुआत हुई वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा महिलाओं को पंचायतों तथा स्थानीय निकायों में आरक्षण की व्यवस्था की जा चुकी है भारतीय संविधान के माध्यम से भी महिलाओं को विभिन्न संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया है । महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार की तरफ से विभिन्न प्रयास किए गए हैं । महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए 9 सितंबर 2005 को 9 सितंबर 2005 पैतृक संपत्ति में बेटे के समान बेटी का अधिकार देने वाला कानून, घरेलू हिंसा में महिलाओं को संरक्षण अधिनियम 2005, आदि पारित किए गए हैं। 31 जनवरी 1992 को "राष्ट्रीय महिला आयोग" का गठन किया गया जो महिलाओं के संवैधानिक तथा कानूनी सुरक्षा के अधिकारों को ढंग से लागू करता है। महिला हितों को ध्यान में रखकर ही 9 सितंबर को भारत में बालिका दिवस मनाया जाता है

वर्तमान समय में भी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा स्किल इंडिया,प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, दीनदयाल अंत्योदय योजना, ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, बालिका सुकन्या समृद्धि योजना, उज्ज्वला योजना, आदि जैसी अनेक कल्याणकारी योजनाएं महिलाओं की क्षमताओं को पहचान कर उन्हें राष्ट्रीय विकास व स्वावलम्बन के नए क्षितिज प्रदान कर रही हैं

आज आर्थिक युग में महिला सशक्तिकरण की धारणा से महिलाएं अधिक स्वावलम्बी और आत्मनिर्भर हुई हैं । विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार यदि भारत में महिलाओं का कुल कार्यबल उत्पादन में योगदान दे तो भारत के जी दी पी 27% बढ़ जाएगी । विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं का श्रम कार्यबल 2011 में 24.6 से बढ़कर 2014 में 24.2% हो गया था । महिलाओं की भागीदारी आर्थिक क्षेत्रो में बढ़ाने के लिए सरकार लघु उद्योग व स्वरोजगार स्थापना हेतु वित्तीय सहायता की व्यवस्था कर रही हैं ।

किंतु हमें याद भी ध्यान रखना होगा कि लक्ष्य अभी दूर है महिला सशक्तिकरण बयार से अभी भी देश के सुदूरवर्ती ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्र में हैं । 21वीं सदी में हमें इस लक्ष्य को शत-प्रतिशत प्राप्त करना है और इसके लिए कई कल्याणकारी योजनाओं को चलाना होगा । हमें नारी को ना केवल शिक्षित और जागरूक बनाना है बल्कि उनको आर्थिक सामाजिक राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से सम्मानजनक स्थिति तक लाना है ।

वस्तुतः समाज में ऐसा वातावरण विकसित करने की आवश्यकता है जिसमें महिला हिंसा पर रोक लगाई जाए सरकारी और गैर सरकारी प्रयासों से घर का चौखट की दहलीज से लेकर आंतरिक तक जाने का रास्ता बनाया जाए। केवल शक्ति और अधिकार से महिलाओं की मदद नहीं की जा सकती। खुद ही सशक्त बनाने के लिए उन्हें स्वयं भी कमर कसनी होगी।

कविता

जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पर पड़ा तो। साइकिल ,ऑटो रिक्शा, और ट्रेन को चलाने लगी बेटियां॥

साहस के साथ आंतरिक तक भेद डाला। सुना है वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां ॥

और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊँ। हर क्षेत्र में शक्ति आजमाने लगी बेटियां ॥

किं बहुना (अधिक क्या कहें)

वीर की शहादत पर अर्थी /पति को कंधा देके। अब शमशान तक जाने लगी बेटियां ॥

घर में बटा के हाथ रहती है मां के साथ पिता की समस्त बाधा हरती हैं बेटियां॥

कटु वाक्य बोलने से पूर्व सोचती हैं खूब। मन में सहमति और डरती हैं बेटियां ॥

बेटे हो उद्दण्ड भले , आपका दुखा दे दिल। कष्ट सहकर भी धैर्य धरती है बेटियां॥

प्रश्न ये ज्वलनसील सबके लिए है आज। नित्य प्रति कोख में क्यों मरती है बेटियां॥

ये सभ्य समाज, बताएं एक बात आज। सावित्री न होती तो सत्यवान को बचाता कौन॥

धर्मेंद्र कुमार पटेल

सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

"भाषा और राष्ट्र में बड़ा घनिष्ट संबंध है।" - (राजा) राधिकारमण प्रसाद सिंह।

महिला सशक्तिकरण एवं कार्यालय में महिलाओं का उन्नयन

सशक्तिकरण का अर्थ व्यक्ति की उस क्षमता से है जो उसमें अपने जीवन से जुड़े सभी निर्णयों को स्वयं लेने की क्षमता विकसित करता है। महिला सशक्तिकरण के संबंध में भी उसी क्षमता की बात होती है जहाँ पर महिलाएं सभी बंधनों से मुक्त होकर के निर्णयों के लिए स्वयं ही निर्माता होती है। महिला सशक्तिकरण महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र में सशक्त बनाने हेतु की एक विश्वस्तरीय मिशन है जिससे महिलाएं स्वयं अपने फैसले ले सकें और इस समाज के रुढ़िवादी सीमाओं को पार करके अपने जीवन में उच्च बिंदूओं तक पहुंच सकें। इससे महिलाएँ शक्तिशाली बनती हैं जिसके पश्चात वो स्वयं के जीवन से संबंधित प्रत्येक निर्णय को स्वयं ले सकती हैं। इस प्रकार वे समाज में अपने वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए सक्षम हो जाती हैं। महिला सशक्तिकरण का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को इतना सक्षम बनाना है कि वे समाज पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें तथा गर्व से अपना एवं समाज का सिर उपर कर सकें तथा महिलाओं को लिए संभावनाओं के द्वार खुले हों जिसमें उन्हे भोजन, घर, शिक्षा, स्वास्थ्य, शिशु पालन, बैंकिंग सुविधाएँ, कानूनी हक आदि हेतु पर्याप्त रचनात्मक अवसर प्राप्त हों।

कोफ़ी अन्नान के अनुसार विकास के लिए महिलाओं के सशक्तिकरण से बेहतर कोई भी उपकरण नहीं है।

महिलाओं के संबंध में श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी का कथन निम्नलिखित है:

पवित्र नारी सृष्टिकर्ता की सर्वोत्तम कृति होती है, वह सृष्टि के सम्पूर्ण सौंदर्य को आत्मसात् किए रहती है। -रविन्द्रनाथ ठाकुर

महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता : देश के उचित विकास हेतु महिलाओं का सक्षम होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस आधी आबादी को मजबूत किये बिना देश के विकास की कल्पना करना कठिन है। देश को विकसित करने के लिए यह आवश्यक है कि पुरुष और स्वंय महिलाओं द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाए।

भारतीय समाज में महिलाओं को सम्मान देने के लिए माँ, बहन, पुत्री, पत्नी आदि रूपों महिला देवियों को पूजने की परंपरा है लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि सिर्फ महिलाओं के पूजने से देश के विकास की आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी। वर्तमान समय में देश की आधी आबादी यानि महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र में सक्षम होने की आवश्यकता है ।

जिस परिवार में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, वह पतन और विनाश के गर्त में लीन हो जाता है- महाभारत

विरोधाभास:

जहाँ एक तरफ यह कहा जाता है कि भारत वह भूमि है जहाँ महिलाओं की देवियों के रूप में पूजा होती है। उन्हें एक पवित्र दर्जा दिया जाता है वहीं दूसरी ओर केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर में 10 साल से लेकर 50 साल की आयु वाली महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। परंतु अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंदिर में हर उम्र की महिलाओं को प्रवेश व पूजा करने की अनुमति दे दी गई है।

महिलाओं को समाज में गृह-निर्माता तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक देखभालकर्ता के रूप में देखा जाता है। यहाँ तक कि नर्स की नौकरी अधिकतर महिलाओं को दी जाती है। दूसरी ओर जब महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण की बात आती है तो उनकी उपेक्षा की जाती है।

भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विगत अनेक वर्षों से यह देखा जा रहा है कि सीबीएसई की परीक्षाओं में लड़कों की तुलना में लड़कियों के उत्तीर्ण होने का प्रतिशत अधिक है। परन्तु एक परिवार में लड़के की तुलना में लड़की की शिक्षा पर व्यय के संदर्भ में अभी भी भेदभाव किया जाता है।

यद्यपि महिलाओं को परिवार, खेल-कूद संबंधी कर्मियों और समग्र रूप से समाज द्वारा खेलों में भेदभाव का सामना करना पड़ता किन्तु इन सबके बावजूद दो महिला खिलाड़ियों - पी. वी. सिंधु और साक्षी मलिक ने 2016 ओलंपिक खेलों में भारत का नाम रोशन किया था।

महिलाओं द्वारा विभिन्न कार्यों में सहभागिता: 18वीं शताब्दी के बिश्नोई आंदोलन का नेतृत्व अमृता देवी ने किया। चिपको आंदोलन मुख्यतः महिलाओं के नेतृत्व वाला आंदोलन था, जिसमें चमोली गांव की महिलाओं ने वृक्षों को कटने से बचाने के लिए उन्हें गले लगा लिया था। वंदना शिवा नामक एक इकोफेमिनिस्ट भी इसमें शामिल थीं। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व मेधा पाटकर ने किया। महिलाओं ने अनेक पथप्रवर्तक क्षेत्रों में नेतृत्व किया है तथा अनुकरणीय साहस का परिचय दिया है, जैसे- श्रीमति प्रतिभा पाटिल(प्रथम महिला राष्ट्रपति व राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल) , श्रीमति इंदिरा गाँधी(प्रथम महिला प्रधानमंत्री), श्रीमति सरोजिनी नायडू(प्रथम महिला राज्यपाल उत्तर-प्रदेश की राज्यपाल), श्रीमति सुचेता कृपलानी(प्रथम महिला मुख्यमंत्री उत्तर-प्रदेश की मुख्यमंत्री), श्रीमति मीरा कुमार(प्रथम महिला लोक सभा अध्यक्ष), किरण बेदी(प्रथम महिला भारतीय आरक्षी सेवा (आई॰पी॰एस॰) अधिकारी), कल्पना चावला(प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री) आदि। हालाँकि सरकार में कार्यकारी पदों में विशेष रूप से उच्च स्तर पर उनकी संख्या/प्रतिशत निराशाजनक बनी हुई है। आज, दुनिया का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है, जहां महिलाओं ने खुद को साबित नहीं किया हो, महिलाओं ने अपनी प्रतिभा का लोहा हर क्षेत्र में मनवाया है एवं खुद को समाज में एक सशक्तिशाली शक्ति की तरह स्थापित किया है।

“मैं किसी समुदाय की प्रगति महिलाओं ने जो प्रगति हांसिल की है उससे मापता हूँ” - डॉ. बी. आर. अम्बेडकर

निष्कर्ष :

यद्‌यपि हम महिला सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़े हैं, परंतु अभी एक लंबी दूरी तय करनी शेष है। महिलाओं को सशक्त बनाना हमारे आने वाले कल, हमारे भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। महिलाओं के संघर्ष तथा आंदोलन हमेशा से ही शांति आंदोलनों, पर्यावरण आंदोलनों, किसान आंदोलनों, और लोकतांत्रिककरण और समाज के विकेन्द्रीकरण हेतु आंदोलनों के साथ निकटता से सम्बद्‌ध रहे हैं। आधुनिक समाज महिलाओं के अधिकारों को लेकर अधिक जागरूक है जिसका परिणाम यह है कि बहुत सारे स्वयं-सेवी समूह और एनजीओ आदि सभी इस दिशा में अपने सफल प्रयास कर रहे हैं। महिलाएं अधिक खुले हुए दिमाग की होती हैं और सभी आयामों में अपने अधिकारों को पाने के लिए सभी सामाजिक बंधनों को तोड़ रही है।

मनुस्मृति के अनुसार: “यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता:”- - “जहां स्त्रियों का सम्मान होता है, वहां देवी-देवता निवास करते हैं।

कार्यालय में महिलाओं का उन्नयन

कामकाजी महिलाओं को कई दायित्वों का सामना करना पड़ता है। बाहर कार्य करने के अतिरिक्त उनसे घरेलू कार्य करने की भी अपेक्षा की जाती है। महिलाएं सभी दायित्वों का निर्वाह पूरी निष्ठा के साथ करती है। कार्यालयी कार्यों को समयानुसार एवं उचित ढंग से पूर्ण करने हेतु वे कार्यालयी समय के अतिरिक्त भी अपने कार्य को पूर्ण करने से पीछे नही हटती हैं। उनके द्‌वारा कार्यालयी, पारिवारिक तथा सामाजिक दायित्वों का सामंजस्य सराहनीय है। कार्यालयी कार्यों के प्रति उनकी लगनशीलता एवं अपने दायित्वों का निर्वहन प्रशंसनीय एवं प्रेरणादायक है। कार्यालयी कार्यों के अतिरिक्त विभिन्न अवसरों पर कार्यक्रमों का आयोजन करना एवं उन कार्यक्रमों मे उत्साह पूर्वक भाग लेना उनके उत्साह को प्रदर्शित करती है।

हमारे कार्यालय में महिलाओं की सहभागिता -

कार्यालय द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में सहभागिता -

आनंद कुमार सिंह,

कनिष्ठ अनुवादक

राजभाषा संबंधी जानकारी

संविधान का अनुच्छेद 343:   संघ की राजभाषा--

संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।

संविधान का अनुच्छेद 351. हिंदी भाषा के विकास के लिए निदेश--

संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्थानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द-भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।

राजभाषा अधिनियम 1963 (यथा संशोधित 1967) की धारा 3(3) के अनुसार हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किए जाने वाले दस्तावेज --

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा (3)3 के अंतर्गत अनिवार्य रुप से द्विभाषी जारी किए जाने वाले कागज़ात

1- सामान्य आदेश (General Orders)

2 -संकल्प(Resolution)

3- परिपत्र(Circulars)

4-नियम(Rules)

5- प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन (Administrative or other reports)

6- प्रेस विज्ञप्तियां (Press Release/Communiques)

7- संविदाएं(Contracts)

8- करार(Agreements)

9- अनुज्ञप्तियां(Licenses)

10- निविदा प्रारुप (Tender Forms)

11- अनुज्ञा पत्र (Permits)

12- निविदा सूचनाएं (Tender Notices)

13- अधिसूचनाएं(Notifications)

14- संसद के समक्ष् रखे जाने वाले प्रतिवेदन तथा कागज़ पत्र (Reports and documents to be laid before the Parliament)

राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976

(यथा संशोधित, 1987, 2007 तथा 2011)

इनका विस्तार, तमिलनाडु राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है।

'क्षेत्र क' से बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छतीसगढ़, झारखंड़, उत्तराखंड राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है;

'क्षेत्र ख' से गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमण और दीव तथा दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं;

'क्षेत्र ग' से उपर्युक्त राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से भिन्न राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है;

नियम-5 : हिंदी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर--

हिंदी में पत्रादि के उत्तर केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से हिंदी में दिए जाएंगे ।

नियम-6 हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग-

अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया जाएगा और ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि ऐसी दस्तावेजें हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही में तैयार की जाती हैं, निष्पादित की जाती हैं और जारी की जाती हैं।

नियम 9 : हिन्दी में प्रवीणता-

यदि किसी कर्मचारी ने-

मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिंदी के माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है या स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा की समतुल्य या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में

हिंदी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया हो; या

यदि वह इन नियमों से उपाबद्ध प्रारूप में यह घोषणा करता है कि उसे हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है ।

नियम 10 : हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान-

यदि किसी कर्मचारी ने-

मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण कर ली है; या केन्द्रीय सरकार की हिन्दी परीक्षा योजना के अन्तर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा या यदि उस सरकार द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के पदों के सम्बन्ध में उस योजना के अन्तर्गत कोई निम्नतर परीक्षा विनिर्दिष्ट है, वह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है या केन्द्रीय सरकार द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है; या

यदि वह इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप में यह घोषणा करता है कि उसने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है;

तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

यदि केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों में से अस्सी प्रतिशत ने हिंदी का ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो उस कार्यालय के कर्मचारियों के बारे में सामान्यतया यह समझा जाएगा कि उन्होंने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

नियम 11 : मैनुअल, संहिताएं, प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, लेखन सामग्री आदि-

=> केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी मैनुअल, संहिताएं और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, हिंदी और अंग्रेजी में द्विभाषिक रूप में यथास्थिति, मुद्रित या साइक्लोस्टाइल किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा।

=> केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले रजिस्टरों के प्ररूप और शीर्षक हिंदी और अंग्रेजी में होंगे।

=> केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग के लिए सभी नामपट्ट, सूचना पट्ट, पत्रशीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा लेखन सामग्री की अन्य मदें हिंदी और अंग्रेजी में लिखी जाएंगी, मुद्रित या उत्कीर्ण होंगी;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार ऐसा करना आवश्यक समझती है तो वह, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय को इस नियम के सभी या किन्हीं उपबन्धों से छूट दे सकती है।

नियम 12 : अनुपालन का उत्तरदायित्व-

केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह--

यह सुनिश्चित करे कि अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों और उपनियम (2) के अधीन जारी किए गए निदेशों का समुचित रूप से अनुपालन हो रहा है और इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जांच के लिए उपाय करे ।

सरकार के कार्मिकों के लिए राजभाषा हिंदी से संबंधित प्रोत्साहन योजनाएं

हिंदी शिक्षण योजना की परीक्षाएँ उत्तीर्ण करने पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले वैयक्तिक वेतन, नकद पुरस्कार आदि प्रोत्साहन

1- **वैयक्तिक वेतन-** हिंदी भाषा, हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि की परीक्षाएँ उत्तीर्ण करने पर केंद्र सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों को 12 महीने की अवधि के लिए एक वेतन वृद्धि के बराबर का वैयक्तिक वेतन दिया जाता है।

(क) प्रबोध परीक्षा- वैयक्तिक वेतन केवल उन्हीं अराजपत्रित कर्मचारियों को दिया जाता है जिनके लिए प्रबोध पाठ्यक्रम अंतिम पाठ्यक्रम के रूप में निर्धारित किया गया है और जो इस परीक्षा को 55 प्रतिशत या अधिक अंक लेकर उत्तीर्ण करते हैं। राजपत्रित अधिकारियों को प्रबोध परीक्षा उत्तीर्ण करने पर वैयक्तिक वेतन नहीं दिया जाता है।

[का0ज्ञा0 सं0-12014/2/76-रा0भा0 (डी.) दिनांक 2.9.1976–पैरा 1(3)]

(ख) प्रवीण परीक्षा- वैयक्तिक वेतन केवल उन्हीं अधिकारियों/कर्मचारियों को दिया जाता है जिनके लिए प्रवीण पाठ्यक्रम अंतिम पाठ्यक्रम के रूप में निर्धारित किया गया है-

(1) अराजपत्रित कर्मचारियों को 55 प्रतिशत या अधिक अंक लेकर प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।

(2) राजपत्रित अधिकारियों को 60 प्रतिशत या अधिक अंक लेकर प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।

[(का0ज्ञा0सं012014/2/76-रा0भा0(डी.)/दिनांक 2.9.1976–पैरा 1(2)]

(ग) प्राज्ञ परीक्षा- वैयक्तिक वेतन केवल उन्हीं सरकारी अधिकारियों/ कर्मचारियों (राजपत्रित /अराजपत्रित) को प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण करने पर दिया जाता है जिनके लिए यह पाठयक्रम अंतिम पाठ्यक्रम के रूप में निर्धारित किया गया है।

(1) अराजपत्रित कर्मचारियों को उत्तीर्णांक लेकर प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।

(2) राजपत्रित अधिकारियों को 60 प्रतिशत या अधिक अंक लेकर प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।

[(का0ज्ञा0सं0- 12014/2/76-रा0भा0(डी.)/दिनांक 2.9.1976–पैरा 1(1)

तथा का0ज्ञा0सं0- 12014/1/78-रा०भा०(डी.) दिनांक 14.2.1979)]

(घ) हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण- हिंदी शब्द संसाधन / हिंदी टंकण की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले केंद्र सरकार के अराजपत्रित कर्मचारियों को एक वेतन वृद्धि के बराबर 12 महीने की अवधि के लिए वैयक्तिक वेतन दिया जाता है।

[(का0ज्ञा0सं0 12014/2/76-रा0भा0(डी.)/दिनांक 2.9.1976–पैरा 1(4)]

तथा (का0ज्ञा0सं0-12016/2/78-रा0भा0(डी.) दिनांक 10.1.1979 क्रमसंख्या-92)

(ङ) हिंदी आशुलिपि- (i) अराजपत्रित हिंदी भाषी आशुलिपिकों को 70 प्रतिशत या अधिक अंक लेकर हिंदी आशुलिपि की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 12 महीने के लिए एक वेतन वृद्धि, जो आगामी वेतन वृद्धि में मिला दी जाती है, के बराबर वैयक्तिक वेतन दिया जाता है।

(ii) राजपत्रित आशुलिपिकों को 75 प्रतिशत या अधिक अंक लेकर हिंदी आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण करने पर वैयक्तिक वेतन दिया जाता है।

जिन आशुलिपिकों (राजपत्रित एव अराजपत्रित दोनों) की मातृभाषा हिंदी नहीं है, उन्हें हिंदी आशुलिपि की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर दो वेतन वृद्धियों के बराबर वैयक्तिक वेतन दिया जाता है। ये वेतन वृद्धियां भावी वेतन वृद्धियों में मिलाई जाएँगी। ऐसे कर्मचारी पहले वर्ष दो वेतन वृद्धियों के बराबर और दूसरे वर्ष पहली वेतन वृद्धि को मिला दिए जाने पर केवल एक वेतन वृद्धि के बराबर वैयक्तिक वेतन प्राप्त कर सकते हैं।

[का0ज्ञा0सं0-12014/2/76/रा0भा0(डी.) दिनांक 2.09.1976)

(का0ज्ञा0सं0-21034/08/2017/रा0भा0(प्रशि) दिनांक 26.07.2017]

टिप्पणी: जिस कर्मचारी को सेवाकालीन हिंदी प्रशिक्षण से छूट मिली हुई हो उस कर्मचारी को संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण करने पर किसी प्रकार के वित्तीय लाभ/ प्रोत्साहन नहीं मिलेंगे।

2- **नकद पुरस्कार-** हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ, हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि की परीक्षाएँ अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करने पर पात्रता के अनुसार निम्नलिखित नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जिनकी वर्तमान दरें निम्नानुसार हैं-

(1) प्रबोध

1. 70 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर- रुपया 1600/-

2. 60 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 70 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर- रुपया 800/-

3. 55 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर- रुपया 400/-

(2) प्रवीण

1. 70 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर- रुपया 1800/-

2. 60 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 70 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर- रुपया 1200/-

3. 55 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर- रुपया 600/-

(3) प्राज्ञ

1. 70 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर- रुपया 2400/-

2. 60 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 70 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर- रुपया 1600/-

3. 55 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर- रुपया 800/-

(4) हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण

1. 97 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर- रुपया 2400/-

2. 95 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 97 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर- रुपया 1600/-

3. 90 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 95 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर- रुपया 800/-

(5) हिंदी आशुलिपि

1. 95 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर- रुपया 2400/-

2. 92 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 95 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर- रुपया 1600/-

3. 88 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 92 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर- रुपया 800/-

(6) निजी प्रयत्नों से हिंदी शिक्षण योजना की हिंदीभाषा, हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि परीक्षाएँ उत्तीर्ण करने पर एकमुश्त पुरस्कार

1. हिंदी शिक्षण योजना की प्रबोध परीक्षा- रुपया 1600/-

2. हिंदी शिक्षण योजना की प्रवीण परीक्षा- रुपया 1500/-

3. हिंदी शिक्षण योजना की प्राज्ञ परीक्षा - रुपया 2400/-

4. हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी शब्द संसाधन/ हिंदी टंकण परीक्षा- रुपया 1600/-

5. हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी आशुलिपि परीक्षा- रुपया 3000/-

(का0ज्ञा0सं0- 21034/66/10-रा0भा0 (प्रशि) दिनांक 29.7.2011)

टिप्पणी:

1. जिन कर्मचारियों को हिंदी के सेवाकालीन प्रशिक्षण से छूट प्राप्त है उन्हें संबंधित स्तर की हिंदी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर नकद एवं एकमुश्त पुरस्कार देय नहीं होंगे।

2. एकमुश्त पुरस्कार प्रचालन कर्मचारियों के अतिरिक्त केवल उन्हीं कर्मचारियों को दिया जाएगा जो ऐसे स्थानों पर तैनात हैं जहाँ हिंदी शिक्षण योजना के प्रशिक्षण केंद्र नहीं हैं अथवा जहाँ संबंधित पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है।

3. जो प्रशिक्षार्थी निजी प्रयत्नों से हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी भाषा, हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि परीक्षाएँ उत्तीर्ण करते हैं उनको एकमुश्त पुरस्कार के अलावा नकद पुरस्कार प्रदान करते समय निर्धारित किए गए प्रतिशत से पाँच प्रतिशत अंक कम प्राप्त करने पर भी नकद पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी।

(का0ज्ञा0सं0- 21034/66/2010/रा0भा0(प्रशि0). दिनांक 29.07.2011)

3- अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी में भी सरकारी काम-काज करने के लिए आशुलिपिकों तथा टंककों के प्रोत्साहन भत्ता

अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी में भी सरकारी काम-काज करने के लिए आशुलिपिकों तथा टंककों के प्रोत्साहन भत्ता प्रतिमाह क्रमशः: 240/- रूपये व 160/- देने का प्रावधान है|

(आदेश सं. 13034/12/2009-रा. भा.(नीति)

4- सरकारी कामकाज (टिप्पण/आलेखन) मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना

सरकारी काम मूल रूप से हिंदी में करने के लिए पुरस्कार राशि निम्न प्रकार है-

केंद्र सरकार के प्रत्येक मत्रालय/विभाग/सम्बद्ध कार्यालय के लिए स्वतंत्र रूप से:

पहला पुरस्कार (2 पुरस्कार) : प्रत्येक 5000/-रुपये

दूसरा पुरस्कार (3 पुरस्कार) : प्रत्येक 3000/-रुपये

तीसरा पुरस्कार (5 पुरस्कार) : प्रत्येक 2000/-रुपये

(का.ज्ञा.सं. 12013/01/2011-रा.भा.(नीति) दिनांक 14 सितंबर, 2016)

योजना के लिए मुख्य मार्गदर्शी निम्नानुसार हैं:-

केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/संबंध और अधीनस्थ कार्यालय अपने अधिकारीयों/कर्मचारियों के लिए स्वतंत्र रूप से इस योजना को लागू कर सकते हैं|

सभी श्रेणियों के वे अधिकारी/कर्मचारी इस योजना में भाग ले सकते हैं जो सरकारी काम पूर्णतः या कुछ हद तक मूल रूप से हिंदी में करते हैं|

केवल वही अधिकारी/कर्मचारी पुरस्कार के पात्र होंगे जो 'क' तथा 'ख' क्षेत्र में वर्ष में कम से कम 20 हजार शब्द तथा 'ग' क्षेत्र में वर्ष में कम से कम 10 हजार शब्द हिंदी में लिखें| इसमें मूल टिप्पण व प्रारूप के आलावा हिंदी में किये गए अन्य कार्य जिनका सत्यापन किया जा सके, जैसे रजिस्टर में इन्दराज, सूची तैयार करना, लेखा का काम आदि भी शामिल किये जायेगें|

आशुलिपि/टाइपिस्ट, जो सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने संबंधी किसी अन्य योजना के अतर्गत आते हैं इस योजना में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे|

हिंदी अधिकारी और हिंदी अनुवादक सामान्यतः अपना काम हिंदी में करते हैं, वे इस योजना में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे|

(क) मूल्याकंन करने के लिए कुल 100 अंक रखे जायेंगे| इनमें से 70 अंक हिंदी में किये गए काम की मात्रा के लिए रखे जायेंगे और 30 प्रतिशत अंक विचारों की स्पष्टता के लिए होंगे| (ख) जिन प्रतियोगियों की मातृभाषा तमिल, तेलगू, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, उड़िया या असमिया हो उन्हें 20 प्रतिशत अंको का लाभ दिया जायेगा| ऐसे कर्मचारी को दिए जाने वाले वास्तविक अंकों के लाभ का निर्धारण मूल्यांकन समिति द्वारा किया जायेगा| ऐसा करते समय समिति उन अधिकारियों/कर्मचारियों के काम के स्तर को भी ध्यान में रखेगी जो अन्यथा उससे क्रम में ऊपर हैं|

****

उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक(वाणिज्यिक) महोदय का कार्यालय दौरा

गणतंत्र दिवस समारोह 2020

कार्यालय के खेल वर्ग के कर्मचारियों का प्रदर्शन

कार्यालय के खेल वर्ग कर्मचारी श्री ब्रविश शेट्टी, वरिष्ठ लेखापरीक्षक ने डी.वाई. पाटिल टी-20 टुर्नामेंट में भाग लिया तथा उनका प्रदर्शन अच्छा रहा।

कार्यालय के खेल वर्ग कर्मचारी श्री आकाश गुप्ता, लिपिक ने भा.ले. एवं ले.वि. पश्चिम जोन के टेबल टेनिस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान तथा अखिल भारतीय सिविल सेवा टेबल टेनिस प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त किया।

हिंदी - हमारी राज भाषा

"हिंदी उन सभी गुणों से अलंकृत है जिनके बल पर वह विश्व की साहित्यिक भाषाओं की अगली श्रेणी में सभासीन हो सकती है।" - मैथिलीशरण गुप्त।

आपके पत्र

प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (लेखा एवं हक), आंध्र प्रदेश, हैदराबाद

आपके कार्यालय की पत्रिका “लेखापरीक्षा ज्ञानोदय” के तृतीय अंक की प्रति प्राप्त हुई जिसके लिए आपको धन्यवाद। पत्रिका में प्रकाशित सभी रचनाएं प्रभावशाली एवं रोचक हैं।

सुश्री व्ही सरला की “इंसान की पहचान है एक कागज”, श्री आनंद कुमार सिंह की “हमारा समाज और विज्ञापन” रचना अति सराहनीय है।

सुश्री कविता कुमारी की “विश्व विरासत स्थल बोधगया”, आनंद कुमार सिंह की “हमारे देश की राजभाषा हिंदी”, श्री इमरान ख़ाटीक की “महाराष्ट्र: एक परिचय”, हरीश कुमार की “हमारा हरियाणा”, राजभाषा संबंधी जानकारी” इन रचनाओं से हमें बहुत सी जानकारी प्राप्त हुई है।

पत्रिका के सफल संपादन हेतु संपादक मंडल को बधाई व पत्रिका की उत्तरोत्तर प्रगति एवं उज्ज्वल भविष्य हेतु हार्दिक शुभकामनाएं।

वरिष्ठ लेखाधिकारी(प्रशासन)

महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) का कार्यालय, ओड़िशा, भुवनेश्वर

आपके कार्यालय की पत्रिका ‘लेखापरीक्षा ज्ञानोदय’ के तृतीय अंक की प्राप्ति हुई, एतदर्थ धन्यवाद।

पत्रिका का ई-मुद्रण अति आकर्षक है। पत्रिका की रचनाएं रोचक एवं ज्ञानवर्धक है। पत्रिका की विषय वस्तु उत्कृष्ट कोटि की है एवं इसमें दर्शाई गई कार्यालयी गतिविधियों के चित्र पत्रिका को और मनमोहक बनाते हैं। पत्रिका के संपादन एवं संकलन हेतु संपादक मंडल को साधुवाद तथा पत्रिका के उज्ज्वल भविष्य एवं प्रगति के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/हिंदी

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), छत्तीसगढ़, रायपुर

आपके कार्यालय द्वारा प्रकाशित तिमाही हिंदी ई-पत्रिका “लेखापरीक्षा ज्ञानोदय” के तृतीय अंक (अक्टूबर-दिसंबर, 2019) की प्रति प्राप्त हुई। पत्रिका की यह प्रति भेजने हेतु आपका हार्दिक आभार। भेजी गई पत्रिका में संकलित सभी रचनाएं पठनीय, रुचिकर एवं प्रेरणादायक हैं। इस पत्रिका में सामाजिक जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर प्रेरक एवं ज्ञानवर्धक लेख लिखे गए हैं। पत्रिका की साज-सज्जा अत्यंत आकर्षक एवं मनमोहक है।

राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में यह पत्रिका महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। सभी रचनाकारों एवं संपादक मण्डल को पत्रिका के सफल प्रकाशन के लिए बधाई एवं उत्तरोत्तर प्रगति के लिए शुभकामनाएं।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/हिंदी

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), का कार्यालय, बिहार, पटना

हिंदी तिमाही पत्रिका 'लेखापरीक्षा ज्ञानोदय' के तृतीय अंक की ई-प्रति सधन्यवाद प्राप्त हुई।
अंक पठनीय और उत्कृष्ट है। पत्रिका का आवरण एवं साज-सज्जा सुंदर एवं लुभावना है। उसका बाहरी रंग रुप ही नहीं, आंतरिक सौंदर्य भी आकर्षित करता है। सुश्री व्ही सरला की कविता 'इंसान की पहचान है एक कागज', श्री हरीश कुमार का लेख 'हमारा हरियाणा' एवं श्री आनंद कुमार सिंह का लेख 'हमारा समाज और विज्ञापन' काफी रोचक, सराहनीय एवं ज्ञानवर्धक है। सभी रचनाकार बधाई के पात्र हैं।
पत्रिका के श्रेष्ठ संकलन हेतु संपादक मंडल बधाई के पात्र है। पत्रिका इसी प्रकार निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर रहे, ऐसी हमारी कामना है।

वरीय लेखा अधिकारी(हिंदी)

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना

आपके कार्यालय की हिंदी पत्रिका "लेखापरीक्षा ज्ञानोदय" के तृतीय अंक की ई-प्रति इस कार्यालय को प्राप्त हुई, सहर्ष धन्यवाद। पत्रिका का यह अंक स्तरीय रचनाओं से परिपूर्ण है। रचनाओं की विविधता से संपादकीय कौशल का पता चलता है। रचनाएं रोचकता और पठनीयता से परिपूर्ण हैं। इस अंक की सभी रचनाएं शिल्प और कथ्य के स्तर पर बेहद सशक्त हैं। विभिन्न प्रकार की रचनाओं से सजी आपकी पत्रिका हिंदी कार्यान्वयन की दिशा में एक उत्कृष्ट प्रयास है। इस अंक की उल्लेखनीय रचनाओं में "विश्व विरासत स्थल बोधगया (लेख)", "हमारा समाज और विज्ञापन(लेख)", "राजभाषा संबंधी जानकारी" अत्यंत शोधपूर्ण और ज्ञानवर्धक है।
"लेखापरीक्षा ज्ञानोदय" पत्रिका राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। पत्रिका भविष्य में और बेहतर करे, यही कामना है।

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी(हिंदी)

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा)- II, महाराष्ट्र , नागपुर

आपके कार्यालय की त्रैमासिक ई-पत्रिका "लेखापरीक्षा ज्ञानोदय" के तृतीय अंक की प्रति प्राप्त हुई, सहर्ष धन्यवाद।

पत्रिका में समाविष्ट सभी लेख एवं कविताएं रोचक एवं ज्ञानवर्धक हैं। विशेषकर सुश्री व्ही सरला, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी की रचना "इंसान की पहचान है एक कागज', श्री आनंद कुमार सिंह, कनिष्ठ अनुवादक का लेख 'हमारा समाज और विज्ञापन' तथा सुश्री कविता कुमारी, वैयक्तिक सहायक का लेख 'विश्व विरासत स्थल बोधगया' सराहनीय है। पत्रिका का मुख्य पृष्ठ अत्यंत आकर्षक है।

पत्रिका के रचनाकारों एवं संपादक मंडल को सफल संपादन तथा प्रकाशन हेतु हार्दिक बधाई एवं पत्रिका के उज्ज्वल भविष्य के लिए हमारे कार्यालय की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/हिंदी

कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा- II) राजस्थान, जयपुर

कार्यालय द्वारा प्रकाशित हिंदी त्रैमासिक ई-पत्रिका "लेखापरीक्षा ज्ञानोदय" के तृतीय अंक की प्राप्ति हुई, तदर्थ आपको बहुत-बहुत आभार। पत्रिका में समाविष्ठ सभी रचनाएं उत्कृष्ट, ज्ञानवर्धक और संग्रहणीय हैं। सभी लेख एवं कविताएं वर्तमान समय में अति-प्रासंगिक एवं अपरिहार्य है।

पत्रिका के सभी रचनाकारों एवं संपादक मंडल को पत्रिका के सफल प्रकाशन के लिए बधाई एवं पत्रिका के उत्तरोत्तर प्रगति के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया अपना यही सार्थक प्रयास निरंतर रखें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/राजभाषा अनुभाग

कार्यालय महालेखाकार (ऑडिट-2) म.प्र. भोपाल

आपके कार्यालय की हिंदी त्रैमासिक ई-पत्रिका लेखापरीक्षा ज्ञानोदय तृतीय अंक की प्रति प्राप्त हुई, तदर्थ धन्यवाद, पत्रिका का संपादन सराहनीय है। पत्रिका में सभी लेख एवं रचनाएं प्रशंसनीय है। विशेषतौर पर 'विश्व विरासत स्थल बोधगया', 'हमारा हरियाणा', 'इंसान की पहचान है एक कागज', आदि रचनाएं प्रेरणादायक और सराहनीय है। पत्रिका की साज-सज्जा उत्तम है। कार्यालयीन चित्रों ने पत्रिका की सुंदरता को और निखारा है। पत्रिका के कुशल तथा सफल संपादक मंडल को हार्दिक बधाई। पत्रिका के निरंतर उज्ज्वल भविष्य हेतु इस नर्मदा परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/हिंदी

कार्यालय वित्त एवं संचार, विभाग, कपूरथला(पंजाब)

आपके कार्यालय द्वारा भेजी गई तिमाही हिंदी ई-पत्रिका "लेखापरीक्षा ज्ञानोदय" के तृतीय (अक्टूबर-दिसंबर, 2019) अंक की ई-मेल प्रति इस कार्यालय को प्राप्त हुई है। इस हिंदी पत्रिका के तृतीय अंक की सभी रचनायें, लेख, कविता, कहानियाँ इत्यादि इस कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को अत्यंत पसंद है।

"लेखापरीक्षा ज्ञानोदय" के तृतीय अंक के लेख में सुश्री व्ही सरला द्वारा रचित "इंसान की पहचान है एक कागज", सुश्री कविता कुमारी द्वारा लिखित "विश्व विरासत स्थल बोधगया", इमरान ख़टीक द्वारा लिखित "महाराष्ट्र: एक परिचय" एवं आनंद कुमार सिंह द्वारा लिखित "हमारे देश की राजभाषा हिंदी" बहुत ही अच्छी एवं पठनीय है। इस पत्रिका के सभी रचनाएं मनभावन और दिल को स्पर्श करने वाली हैं।

पत्रिका अपने कार्य को बखूबी निभा रही है, इसके आने का इंतजार इस कार्यालय को हमेशा रहता है। प्रकाशन के उज्ज्वल भविष्य की कामना सहित सभी रचनाकारों तथा संपादक मंडल को बहुत बहुत शुभकामनायें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन

प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड का कार्यालय, बेंगलोर

आपके कार्यलय की हिंदी पत्रिका(ई-पत्रिका) "लेखापरीक्षा ज्ञानोदय" के तृतीय अंक की इस कार्यालय को सहर्ष प्राप्ति हुई है। पत्रिका में सम्मिलित सामग्री उच्च स्तर की है। विभिन्न प्रकार की रचनाओं से सजी आपकी पत्रिका हिंदी कार्यान्वयन की दिशा में एक स्वर्णिम प्रयास है। ज्ञानवर्धक भावनाओं का भली भांति एवं सही दिशा में प्रयोग किया गया है। पत्रिका में सम्मिलित रचनाएं "इंसान की पहचान है एक कागज", "हमारा समाज और विज्ञापन" आदि पठनीय एवं प्रशंसनीय है। पत्रिका के प्रकाशन के सफल प्रयास हेतु शुभकामनाएं।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक़दारी)- द्वितीय उत्तर प्रदेश , इलाहाबाद

आपके कार्यालय की हिंदी पत्रिका "लेखापरीक्षा ज्ञानोदय" के तृतीय अंक की ई-प्रति प्राप्त हुई, धन्यवाद।

पत्रिका की रचनाएं ज्ञानवर्धक, रोचक एवं प्रशंसनीय हैं. सुश्री व्ही सरला, वरिष्ठ की कविता "इंसान की पहचान है एक कागज', एवं आनंद कुमार सिंह, जी का लेख 'हमारा समाज और विज्ञापन' उल्लेखनीय रचनाएं हैं। पत्रिका में राजभाषा एवं इससे संबंधित प्रोत्साहन योजनाओं संबंधी जानकारी का संकलन महत्वपूर्ण है।

पत्रिका के सफल संपादन तथा प्रकाशन हेतु पत्रिका परिवार को हार्दिक बधाई एवं पत्रिका के उज्ज्वल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।

वरिष्ठ लेखाधिकारी(हिंदी)

कार्यालय प्रधान महालेखाकार, लेखापरीक्षा- II पश्चिम बंगाल

आपके कार्यालय द्वारा प्रेषित हिंदी पत्रिका "लेखापरीक्षा ज्ञानोदय" के तृतीय अंक की प्राप्ति हुई है। पत्रिका में प्रकाशित सभी रचनाएं ज्ञानवर्धक एवं रोचक हैं। पत्रिका का आवरण, पृष्ठ एवं पत्रिका में प्रकाशित छायाचित्र अत्यंत आकर्षक और मनमोहक है। साथ ही पत्रिका का कलेवर भी अत्यंत आकर्षणीय है। कविताएं एवं लेख भी भावपूर्ण, सार्थक तथा मन को छू लेने वाली हैं। सुश्री व्ही सरला द्वारा रचित कविता " इंसान की पहचान है एक कागज", श्री इमरान खाटीक द्वारा रचित लेख "महाराष्ट्र : एक परिचय" सर्वाधिक रोचक हैं।

आशा करता हूँ कि पत्रिका की गुणवत्ता एवं रचनात्मकता में उत्तरोत्तर प्रगति जारी रहेगी. पत्रिका के उज्ज्वल भविष्य तथा आगामी अंको के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/हिंदी

आप सभी से प्राप्त बधाई एवं शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत आभार। आपके पत्रों के माध्यम से पत्रिका के संबंध में आपकी प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई, तदर्थ धन्यवाद। आपके प्रतिक्रियाओं से हमारे आगामी अंको हेतु मार्गदर्शन होता है तथा पत्रिका को और बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने के लिए हमे प्रोत्साहन मिलता है। हमारे छोटे से प्रयास की सराहना के लिए आप सभी का धन्यवाद तथा हम यह आशा करते हैं कि भविष्य में भी आपका सहयोग प्राप्त होता रहेगा और हम सभी एक साथ मिलकर राजभाषा हिंदी के विकास में अपना योगदान देंगे।

अतः आप सभी पाठकों से अनुरोध है कि पत्रिका को पढ़ने के पश्चात अपने विचार हमें प्रेषित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन

कार्यालय महानिदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा, मुंबई

"हिंदी उन सभी गुणों से अलंकृत है जिनके बल पर वह विश्व की साहित्यिक भाषाओं की अगली श्रेणी में सभासीन हो सकती है।" - मैथिलीशरण गुप्त।

राजभाषा हिंदी के संबंध में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्‌वारा निर्धारित लक्ष्य

क्र.सं.	कार्य विवरण	"क" क्षेत्र	"ख" क्षेत्र	"ग" क्षेत्र
1.	हिंदी में मूल पत्राचार (ई-मेल सहित)	1. क क्षेत्र से क क्षेत्र को 100% 2. क क्षेत्र से ख क्षेत्र को 100% 3. क क्षेत्र से ग क्षेत्र को 65% 4. क क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/ व्यक्ति 100%	1 ख क्षेत्र से क क्षेत्र को 90% 2 ख क्षेत्र से ख क्षेत्र को 90% 3 ख क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55% 4.ख क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति 90%	1 ग क्षेत्र से क क्षेत्र को 55% 2 ग क्षेत्र से ख क्षेत्र को 55% 3 ग क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55% 4. ग क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति 55%
2.	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	100%	100%	100%
3.	हिंदी में टिप्पण	75%	50%	30%
4.	हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम	70%	60%	30%
5.	हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी एवं आशुलिपिक की भर्ती	80%	70%	40%
6.	हिंदी में डिक्टेशन/की बोर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं तथा सहायक द्‌वारा)	65%	55%	30%
7.	हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)	100%	100%	100%
8.	द्‌विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	100%	100%	100%
9.	जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुल अनुदान में से डिजिटल वस्तुओं अर्थात् हिंदी ई-पुस्तक, सीडी/ डीवीडी, पैनड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय।	50%	50%	50%
10.	कंप्यूटर सहित सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की द्‌विभाषी रूप में खरीद ।	100%	100%	100%
11.	वेबसाइट द्‌विभाषी हो	100%	100%	100%
12.	नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्डों आदि का प्रदर्शन द्‌विभाषी हो	100%	100%	100%

-14-

13.	(i) मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों (उ.स./निदे./सं.स.) द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण (कार्यालयों का प्रतिशत)	25%(न्यूनतम)	25%(न्यूनतम)
	(ii) मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)
	(iii) विदेश में स्थित केंद्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अधीन कार्यालयों/उपक्रमों का संबंधित अधिकारियों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण		वर्ष में कम से कम एक निरीक्षण
14.	राजभाषा संबंधी बैठकें		
	(क) हिंदी सलाहकार समिति		वर्ष में 2 बैठकें
	(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति		वर्ष में 2 बैठकें (प्रति छमाही एक बैठक)
	(ग) राजभाषा कार्यान्वयन समिति		वर्ष में 4 बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक)
15.	कोड, मैनुअल, फॉर्म, प्रक्रिया और साहित्य का हिंदी अनुवाद	100%	